भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3239

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

श्रम उत्पादकता रुझान

3239. एडवोकेट अदूर प्रकाश:
डॉ. अमर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान श्रम उत्पादकता की प्रवृत्तियों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केएलईएमएस डेटाबेस के अनुसार श्रम उत्पादकता में गिरावट आई है और यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी**,** एल: श्रम**,** ई: ऊर्जा**,** एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर श्रम उत्पादकता (एलपी) सहित रोजगार अनुमान प्रदान करता है।

केएलईएमएस के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार**,** होटल और रेस्तरां**,** कोक**,** परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद और परमाणु ईंधन**,** डाक और दूरसंचार**,** मशीनरी**,** एनईसी**,** लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं**,** बिजली**,** गैस और जल आपूर्ति**,** वित्तीय सेवाओं**,** व्यापार आदि जैसे उद्योगों ने 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में श्रम उत्पादकता (एलपी) में वृद्धि दर्ज की है।

सरकार राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)**,** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)**,** पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)**,** ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)**,** फ्यूचर स्किल्स प्राइम आदि जैसी विभिन्न कौशल संवर्धन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कौशल संवर्धन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** में देखा जा सकता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को शार्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करना है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए गए हैं तथा आरपीएल में उम्मीदवारों के पूर्व-ज्ञात कौशल के प्रमाणन की प्रक्रिया शामिल है। पीएमकेवीवाई योजना के तहत, 31.10.2024 तक 1.57 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रोजगार संबंद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

ईएलआई योजना का एक भाग विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नियोक्ताओं को रोजगार की औपचारिकता/सृजन के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। ईएलआई योजना का दूसरा भाग सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहित करना है।

****